जिन्हें अनुमति प्रदान कर दी गई है और इस संबंध में आगे क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) प्रसंस्कृत एक्सट्रूडेड नाश्ता आहार, प्रसंस्कृत मेवे, जल्दी खराब न होने वाले आलू चिप्स और गैरएल्कोहालिक पेय, वेस/सुगंध को तैयार करने के लिए महाराष्ट्र के एक पिछड़े जिले में "ब्रिटको फूड्स प्रा० लि०" नामक एक नई कंपनी द्वारा एक यूनिट की स्थापना के लिए 60 प्रतिशत अनिवासी भारतीय इक्विटी शेयर वाली हांगकांग स्थित मै० जे० एण्ड० आर० पी० कं० लि० और 40 प्रतिशत इक्विटी वाली अमरीकी कोका कोला कम्पनी को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी कोका कोला साऊथ एशिया द्वारा मै० ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता और एक महाराष्ट्र राज्य सरकार की एजेन्सी के साथ संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार ने मंजूरी दी है । यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है ।

उपर्युक्त प्रस्ताव के अलावा भारत में मृदु पेय तैयार करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी लेने के संबंध में विदेशी कंपनी से इस मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Cancellation of election to Rajya Sabha

402. SHRI GURUDAS DAS GUPTA :
SHRI CHATURANAN MISHRA :

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the biennial elections to Rajya Sabha/Legislative Council held recently on the 25th June, 1992 in Bihar have been held void ; and

(b) if so, what are the reasons and grounds therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) Yes, Sir.

(b) The following main reasons have been given by the Election Commission in its order dated 1st July, 1992 for holding the elections void :

(i) The orderly conduct of the poll was disturbed due to the unregulated flow of voters and the frequent entry of unauthorised persons into the polling station including among others the Chief Minister and the Leader of the Opposition along with many others.

(ii) The poll proceedings were frequently interrupted by incidence and scuffles inside the polling station.

(iii) The exercise of the electoral rights by at least two, if not more, voters was interfered with by the snatching of their ballot papers and marking thereof by unauthorised persons.

(iv) The secrecy of vote was violated due to open voting, snatching of ballot papers and their forcible marking.

लिखित बहस प्रणाली

403. डॉ० बापू कालदाते : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमरीकी न्याय-प्रणाली को अंगीकार करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि लिखित तर्क से समय की बचत होगी तथा न्यायालयों में लंबित मामलों की भारी संख्या में भी कमी आएगी ;

(घ) इसे कब तक अंगीकार कर लिया जाएगा ; और

(ङ) यदि लिखित तर्क प्रणाली को अंगीकार कर लिया जाएगा तो उस दशा में इन सभी मामलों का निपटान कब तक हो जाएगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ङ) प्रक्रिया संबंधी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्यायालय इस समय मौखिक और लिखित तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। जब कि विधि आयोग ने अपनी विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से लिखित कथन फाइल करने और अनावश्यक मौखिक तर्क को कम करने की सिफारिश की है, किन्तु उसने लिखित ब्रीफ पर बल देने और मौखिक तर्क के परिवर्तन की अमरीकन प्रणाली को समर्थन नहीं दिया है। विधि आयोग के इन सुझावों को विभिन्न वरिष्ठ न्यायालयों को भेज दिया गया है। वरिष्ठ न्यायालय पहले से ही उपयुक्त प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं जिससे कि, जहां तक साध्य हो, लंबे और अनावश्यक तर्क को बढ़ावा प्राप्त न हो सके। न्यायालयों में अनेक जटिल कारणों से मामले लंबित हैं जिनमें मामलों का बड़ी संख्या में संस्थित किया जाना भी सम्मिलित है। लिखित तर्क फाइल करना, मामलों का शीघ्रता से निपटारा करने की दिशा में, विभिन्न उपायों में से केवल एक कदम है और इसलिए यह धारणा सही नहीं होगी कि प्रक्रिया संबंधी यह सुधार अपने आप ही, किसी विनिर्दिष्ट समय सीमा में, बकाया मामलों की समस्या हल कर सकेगा।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित सेमिनार

404. **श्री अजीत जोगी :**

श्री राजूभाई ए० परमार :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः आयोजित किए गए सैमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ग) ऐसे सम्मेलनों आदि के क्या निष्कर्ष निकले और सरकार को उनसे क्या लाभ होगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Bringing Electoral Reforms

405. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large scale rigging, booth capturing and other malpractices adopted in the June 8th bye-elections have again brought to the fore the need for the electoral reforms ;

(b) if so, what action Government propose to take to bring electoral reforms in the country ; and

(c) by when the amendments will be introduced in the Parliament ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) to (c) The need for bringing about electoral reforms has constantly engaged the attention of the Government and a comprehensive package of electoral reforms has been under consideration of the Government even before certain incidents of rigging, booth-capturing etc., were reported in June 8, bye-elections. A comprehensive legislation to give effect to the various electoral reforms is proposed to be brought out. It is, however, not possible at this stage to indicate the time limit by which it would be done.

Revision of Notaries Fees

406. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rates payable to Notaries were fixed in 1952 and have not been revised so far ; and